प्रेस नोट

विधान सभा चुनाव 2018 मतदान दिवस से 72 घण्टे पूर्व, 48 घण्टे पूर्व, 24 घण्टे पूर्व, पोल दिवस तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही के संबंध में SOP/ दिशा–निर्देश।

विधान सभा चुनाव 2018 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28.11.2018 को मतदान दिवस से 72 घण्टे के पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देश इस प्रकार है:–

1. मतदाता प्रलोभन हेतु नगद तथा अन्य सामग्री के वितरण पर कड़ी नजर रखी जाए तथा प्रभावी रोकथाम की जाए।
2. अन्तर्राज्यीय नाकों तथा अन्य चैक पोस्टों पर सतत निगरानी रखी जाए, विशेषतः शराब के परिवहन पर।
3. प्रत्याशियों तथा उनके एजेंटो से पोलिंग–बूथवार Worry List प्राप्त कर कार्यवाही हेतु संज्ञान में ली जाए।
4. अवैध हथियार की ज़प्ती/पकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जाए, विशेषतः अवैध हथियार के उत्पादन/वितरण स्थानों पर।
5. जिले में बाहर से आने वाले हथियार लाईसेंस–धारियों को उपयुक्त दस्तावेज़ के बिना तथा जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी No Objection Certificate के बिना प्रवेश की अनुमति ना दी जाए।
6. अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्जिला भारी/व्यावसायिक वाहनों के परिवहन पर सख्ती से निगरानी रखी जाए तथा उनकी चैकिंग कर सुनिश्चित किया जाए कि इनके द्वारा अवैध हथियार/शराब का परिवहन नहीं किया जा रहा है।
7. अन्य राज्यों तथा जिलों से असामाजिक तत्वों के संचलन पर निगरानी रखी जाए तथा जिले के असामाजिक तत्वों पर पूर्णरूप से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित हो।
8. सीमावर्ती जिलों तथा राज्यों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित किया जाए कि अवैध हथियार/शराब तथा असामाजिक, हानिकारक तथा घुसपैठ तत्वों के संचलन पर प्रभावी रूप से रोकथाम हो।
9. 72 घण्टे पूर्व से अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर Border Sealing सुनिश्चित करें।
10. Shadow Areas में संचार हेतु पर्याप्त संसाधनों/उपायों की उपलब्धता जिलों में हो।